



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

**वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष : 2013-2014**

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

Website : www.rajtaxboard.gov.in

Email : rajtaxboard@yahoo.co.in

0145- 2627803 (Phone & Fax)

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2013 – 2014

प्रस्तावना :

1.0 राजस्थान विक्रय कर अधिकरण की स्थापना दिनांक 01.05.1985 को विक्रय कर से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों (द्वितीय अपील) का शीघ्र निपटारा करने व निर्णयों में एकरूपता रखने के उद्देश्य से की गई थी ताकि विक्रय कर अधिनियम व नियमों की सुसंगत व्याख्या की जा सके। अधिकरण के गठन से पूर्व विक्रय कर से संबंधित प्रकरणों में द्वितीय अपील के प्रावधान नहीं थे और उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग के प्रथम अपील आदेश के विरुद्ध केवल मात्र निगरानी ही राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हो सकती थी। दिनांक 01.10.1995 से राजस्थान विक्रय कर अधिकरण का नाम परिवर्तित कर 'राजस्थान कर बोर्ड' कर दिया गया।

2.0 राजस्थान वित्त विधेयक, 2005 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-2 में संशोधन कर राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के स्थान पर राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को 'चीफ कन्ट्रोलिंग रेवेन्यू ऑथोरिटी' घोषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत राजस्थान कर बोर्ड को स्टाम्प सम्बन्धित निगरानी सुनने, माननीय उच्च न्यायालय को रेफेरेन्स भिजवाने, पेनल्टी और स्टाम्प ड्यूटी के रिफण्ड आदि की शक्तियां प्रदान की गयी है। उक्त वित्त अधिनियम, 2005 का संशोधन दिनांक 24.03.2005 से प्रभावी हुआ है। जिसके अन्तर्गत राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित स्टाम्प सम्बन्धित विवादित प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को स्थानान्तरित किये गये हैं जिनकी सुनवायी एवं निस्तारण कर बोर्ड द्वारा नियमित रूप से की जा रही हैं। राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 में कर बोर्ड को भूमि कर से संबंधित निगरानी सुनने की अधिकारिता दिनांक 25.09.2006 की अधिसूचना द्वारा प्रदान की गयी है।

2.1 राजस्थान आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2007 के द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9 क में हुए संशोधन के पूर्व आबकारी मामलों में आयुक्त आबकारी के निर्णयों के विरुद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर को अपील सुनने की अधिकारिता थी। उक्त संशोधन दिनांक 06.06.2007 से प्रभावी हुआ है एवं तदनुसार आबकारी आयुक्त के आदेशों के विरुद्ध अपील/रिवीजन की सुनवायी की अधिकारिता राजस्थान कर बोर्ड को प्राप्त हो गयी है। उक्त संशोधन के पश्चात् राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित आबकारी से संबंधित अपीलें/निगरानियां राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को स्थानान्तरित की गयी हैं जिनकी सुनवायी कर, निस्तारण कर बोर्ड, अजमेर की खण्डपीठ द्वारा किया जा रहा है।

3.0 गठन :

वर्तमान में कर बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य पदस्थापित हैं। बोर्ड के सदस्यों को वेतन एवं भत्ते राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 9(7)(क) के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाईम स्केल स्तर के अधिकारी के समान देय है। इस सम्बन्ध में चयन आदि की प्रक्रिया नियम 9 के प्रावधानानुसार है।

3.1 कार्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु रजिस्ट्रार का पद सृजित है। इस पद पर दिनांक 28.01.1994 से राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के चयनित वेतन श्रृंखला/सुपर टाइम स्केल के अधिकारी कार्यरत हैं।

3.2 कर बोर्ड का वर्तमान गठन निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	नाम	पद	अवधि
1.	श्री तपेन्द्र कुमार	अध्यक्ष	12.04.2013 से निरन्तर
2.	श्री जे.आर.लोहिया	सदस्य	25.07.2011 से निरन्तर
3.	श्री सुनील शर्मा	सदस्य	25.07.2011 से निरन्तर
4.	श्री मदनलाल	सदस्य	25.02.2013 से निरन्तर
5.	श्री अमरसिंह	सदस्य	24.07.2013 से निरन्तर
6.	श्री रामकुमार	रजिस्ट्रार	15.03.2013 से निरन्तर
7.	श्रीमति प्रमिला शर्मा	सहा. रजिस्ट्रार	14.10.2013 से निरन्तर

4.0 राजस्थान कर बोर्ड में प्रशासनिक एवं न्यायिक पद

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	अध्यक्ष (आई.ए.एस.)	1	1	—
2	सदस्य	6	4	2
3	रजिस्ट्रार	1	1	—
4	सहायक रजिस्ट्रार	1	1	—
5	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I	1	1	—
6	निजी सचिव	2	2	—
7	वरिष्ठ निजी सहायक	1	1	—
8	निजी सहायक	1	—	1
9	आशुलिपिक	4	1	3
10	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	—
11	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II	1	1	—
12	प्रशासनिक अधिकारी	1	—	1
13	सहा. प्रशासनिक अधिकारी	2	1	1
14	लिपिक ग्रेड-I	8	8	—
15	लिपिक ग्रेड-II	12	7	5
16	वाहन चालक	4	4	—
17	जमादार	1	1	—
18	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	14	13	1
19	प्रोसेस सरवर	2	2	—
योग		64	50	14

5.0 बजट स्थिति :

वर्ष 2013-2014 तक के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

(राशि रुपये लाखों में)

क्र.सं.	मद	बजट आवंटन (B.E.)	दिसम्बर, 2013 तक (रु.) व्यय
1	संवेतन	301.90	208.47
2	यात्रा भत्ता	3.50	2.87
3	चिकित्सा व्यय	3.00	1.41
4	कार्यालय व्यय	18.00	14.40
5	वाहन क्रय	0.01	—
6	वाहन संधारण	4.00	2.64
7	पुस्तकालय	1.70	.42
8	वाहन किराया	6.12	2.54
9	वर्दी	0.22	—
10	संविदा व्यय	6.12	—
11	कम्प्यूटराइजेशन व्यय	3.12	2.13

6.0 पुस्तकालय :

कर बोर्ड में एक पुस्तकालय है, जिससे माननीय पीठ एवं अभिभाषकों के उपयोग हेतु विधि सम्बन्धी व अन्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं। वर्तमान में पुस्तकालय में **7099** पुस्तकें उपलब्ध हैं।

7.0 वर्षवार प्रकरणों की स्थिति :

वर्ष 2011, 2012 एवं 2013 तीन वर्षों में दायर एवं निस्तारित (विक्रय कर/स्टाम्प/भूमिकर एवं आबकारी) प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	वाद	2011 (दिनांक 31.12.11)	2012 (दिनांक 31.12.12)	2013 (दिनांक 31.12.13)
1.	बकाया प्रकरण	6845	7484	7188
2.	दायर प्रकरण	2989	2931	2464
3.	निस्तारित प्रकरण	2350	3227	1945
4.	शेष प्रकरण	7484	7188	7707

कर बोर्ड में विचाराधीन प्रकरणों की सुनवायी एकलपीठ एवं खण्डपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। विक्रय कर/स्टाम्प एक्ट के जिन प्रकरणों में विवादास्पद कर राशि पांच लाख रुपए तक है उनकी सुनवायी एकलपीठ एवं जिन प्रकरणों में यह राशि रुपये पांच लाख से अधिक है, या कर दर संबंधी विवाद हैं, उन प्रकरणों की तथा आबकारी से संबंधित समस्तवादों की सुनवायी खण्डपीठ द्वारा एवं भूमि कर से संबंधित समस्त प्रकरणों की सुनवायी एकलपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10 जनवरी, 2013 द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 31 के उपनियम 2 के खण्ड (iii) में किये गये संशोधन के अनुसार एकलपीठ द्वारा अपील प्रकरणों की सुनवाई की सीमा रुपये 5.00 लाख से बढ़ाकर रुपये 10.00 लाख प्रतिस्थापित की गयी हैं। कतिपय परिस्थितियों में एस.बी./डी.बी. द्वारा कोई कानूनी बिन्दु निहित होने पर दो सदस्य से अधिक सदस्यों वाली पीठ (वृहदपीठ) को निर्णय हेतु प्रकरण संदर्भित किया जाता है।

8.0 वर्ष 2013-14 के दौरान दिसम्बर, 2013 तक प्रकरणों के निस्तारण की माहवार प्रगति निम्नानुसार रही :-

1.1.2013 को शेष प्रकरण

डी.बी.	एस.बी.	कुल प्रकरण
2436	4752	7188

वर्ष 2013

माह	दायर वाद		निस्तारित वाद		शेष		योग
	डी बी	एस बी	डी बी	एस बी	डी बी	एस बी	
					*BF 2436	4752	7188
जनवरी	82	105	110	141	2408	4716	7124
फरवरी	105	107	72	113	2441	4710	7151
मार्च	84	89	35	118	2490	4681	7171
अप्रैल	116	226	35	137	2571	4770	7341
मई	137	190	60	128	2648	4832	7480
जून	59	135	32	119	2675	4848	7523
जुलाई	101	111	33	92	2743	4867	7610
अगस्त	62	98	53	74	2752	4891	7643
सितम्बर	67	107	51	117	2768	4881	7649
अक्टूबर	70	103	55	117	2783	4867	7650
नवम्बर	64	76	46	83	2801	4860	7661
दिसम्बर	80	90	52	72	2829	4878	7707

* पिछला अग्रेसित

9.0 अजमेर मुख्यालय पर लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में चार एस.बी. द्वारा सुनवायी की जा रही है तथा माह के द्वितीय व चतुर्थ सप्ताह के प्रथम चार दिवसों में खण्डपीठ द्वारा सुनवायी की जा रही है।

अजमेर मुख्यालय के अलावा राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ एवं खण्डपीठ कैम्प जयपुर में प्रत्येक माह के प्रथम, तृतीय एवं पंचम् सप्ताह में योजना भवन में आयोजित की जाती है। जिसमें तृतीय एवं पंचम् सप्ताह में प्रथम तीन दिवसों में खण्डपीठ द्वारा लम्बित प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रथम सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में तथा तृतीय सप्ताह एवं पंचम् सप्ताह के प्रथम तीन दिवसों के अतिरिक्त शेष कार्य दिवसों में एकलपीठ द्वारा कैम्प जयपुर में लम्बित निगरानी एवं अपील प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है। कैम्प जयपुर में गठित खण्डपीठ व एकलपीठ में मुख्यतः जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, करौली, सीकर, झुन्झुनूं, दौसा, एवं चूरु जिले के प्रकरणों की सुनवायी की जाती है। प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं वादकारों की सुविधा हेतु राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा जोधपुर/उदयपुर में भी त्रैमासिक रूप से प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है।

10. राजस्थान कर बोर्ड में पदस्थापित अधिकारियों के कार्यालय/निवास के फोन नम्बर निम्नानुसार है :-

क्रमांक	नाम	पद	मोबाईल	कार्यालय	निवास
1	श्री तपेन्द्र कुमार	अध्यक्ष	9413331001	0145-2627903 (अजमेर) 0141-2228790 (जयपुर)	0141-2786767
2	श्री जे.आर.लोहिया	सदस्य	9413847851	0145-2622981	—
3	श्री सुनील शर्मा	सदस्य	9414026983	0145-2627675	—
4	श्री मदनलाल	सदस्य	9413385864	0145-2627296	—
5	श्री अमरसिंह	सदस्य	9982677688	0145-2627703	—
6	श्री रामकुमार	रजिस्ट्रार	9414332095	0145-2627803	—
7	श्रीमती प्रमिला शर्मा	सहा. रजिस्ट्रार	9829086780	0145-2630681	—

11. सूचना के अधिकार के अंतर्गत :-

: लोक सूचना अधिकारी :
श्री रामकुमार, रजिस्ट्रार
Website : www.rajtaxboard.gov.in
Email : rajtaxboard@yahoo.co.in
0145- 2627803 (Phone & Fax)
9414332095 (Mo.)

: विभागीय अपीलेंट आर्थोरटी :
श्री तपेन्द्र कुमार, अध्यक्ष
Website : www.rajtaxboard.gov.in
Email : rajtaxboard@yahoo.co.in
0145- 2627903 (Phone)
9413331001 (Mo.)

- 12.

: मुख्य सतर्कता अधिकारी :
श्री रामकुमार, रजिस्ट्रार
Website : www.rajtaxboard.gov.in
Email : rajtaxboard@yahoo.co.in
0145- 2627803 (Phone & Fax) 9414332095 (Mo.)